DOIT.C

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

क्रमांक :–प.2(89) / DOIT&C/2025/02833/2025 जयपुर, दिनांक 14/7/25

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती कीर्ति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, (कार्यव्यवस्थार्थ) डिजास्टर रिकवरी साईट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जोधपुर द्वारा Rajasthan State Open School, Jaipur से 10वी वर्ष 2025–2026 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु श्रीमती कीर्ति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

कार्मिका को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृती प्राप्त करें।

(संजय जगदीश कार्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. तकनीकी निदेशक, डिजास्टर रिकवरी साईट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जोधपुर।
2. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, बेवसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
3. श्रीमती कीति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, (कार्यव्यवस्थार्थ) डिजास्टर रिकवरी साईट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जोधपुर।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी